

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 351]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 अगस्त 2014—श्रावण 17, शक 1936

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2014

क्र. एफ-13-27-2013-बीस-1.—विभाग के आदेश क्रमांक एफ-27-56-2012-बीस-2, दिनांक 25 जुलाई, 2013 द्वारा राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया गया है. इस आदेश की सहायक संचालक की सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता संबंधी कंडिका 4 (1) (अ) की उप कंडिका 1 एवं 2 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:—

1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान (जिसमें प्रौद्योगिकी अथवा इंजीनियरिंग की स्नातक उपाधि भी सम्मिलित है), वाणिज्य अथवा कृषि में स्नातक उपाधि.

क्र. एफ-13-27-2013-बीस-1.—मध्यप्रदेश शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 1982 में सहायक संचालक (सांख्यिकी तथा योजना) और सहायक संचालक, लोक शिक्षण (शारीरिक शिक्षा) के पद निर्मित है. इन पदों पर नियुक्त अधिकारियों को क्रमशः उप संचालक लोक शिक्षण (सांख्यिकी तथा योजना) तथा उप संचालक लोक शिक्षण के पद पर, पदोन्नति का प्रावधान अनुसूची 4 में उल्लिखित है.

2. मध्यप्रदेश शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 1982 में सहायक संचालक (सांख्यिकी तथा योजना) और सहायक संचालक, लोक शिक्षण (शारीरिक शिक्षा) के संवर्ग का नया पदनाम सहायक संचालक, लोक शिक्षण तथा पदोन्नति के पद का नाम उप संचालक लोक शिक्षण किया जाता है.

3. विभागीय मध्यप्रदेश शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती एवं पदोन्नति नियम 1982 में तदनुसार आवश्यक संशोधन कर लिया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. तोमर, उपसचिव.